न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–218/2019 (जीसीएमएस नं. 2019/00126)

01. लल्लूराम पुत्र स्व. श्री लादूराम अहीर, निवासी जिन्द बाबा की ढाणी, ग्राम बदरवास, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

01. प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–18 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
02. धन्ना पुत्र रघुनाथ, (फौत)
    - 2/1. रामलाल पुत्र स्व. धन्ना,
    - 2/2. चौथमल पुत्र स्व. धन्ना,
    - 2/3. जगदीश पुत्र स्व. धन्ना (फौत)
    - 2/3/1. सुरेश पुत्र स्व. जगदीश,
    - 2/3/2. सुरेन्द्र पुत्र स्व. जगदीश,
    - 2/3/3. रूडीदेवी पत्नी स्व. जगदीश,
    - 2/4. गुलाब पुत्र स्व. धन्ना (फौत)
    - 2/4/1. प्रकाश पुत्र गुलाब,
    - 2/4/2. गोलू पुत्र स्व. गुलाब,
    - 2/4/3. पारादेवी पत्नी स्व. गुलाब, निवासी जिन्द बाबा की ढाणी तहसील जयपुर जिला जयपुर।
03. कालू पुत्र रघुनाथ, (फौत)
    - 3/1. सोहन पुत्र स्व. श्री कालू निवासी जिन्द बाबा ढाणी तहसील जयपुर जिला जयपुर।
04. भूरा पुत्र रघुनाथ, (फौत)
    - 4/1. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री भूरा,
    - 4/2. प्रभूदयाल पुत्र स्व. श्री भूरा (फौत)
    - 4/2/1 हनुमान पुत्र स. श्री प्रभूदयाल,
    - 4/2/2. दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री प्रभूदयाल,
    - 4/2/3. सुप्यारी पत्नी स्व. श्री प्रभूदयाल, निवासी जिन्द बाबा की ढाणी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
05. गोपी पुत्र रघुनाथ, (फौत)
    - 5/1. भगवान सहाय पुत्र स्व. श्री गोपी,
    - 5/2. बंशी पुत्र स्व. श्री गोपी,
    - 5/3. रामनाथ पुत्र स्व. श्री गोपी निवासीयान जिन्द बाबा की ढाणी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
06. फूला पुत्र रघुनाथ, (फौत)
    - 6/1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. फूला (मूलचन्द)
    - 6/2. रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. फूला (मूलचन्द) समस्त जाति अहीर, निवासी जिन्द बाबा की ढाणी, ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर व जिला जयपुर।
07. बृजलाल यादव पुत्र जगदीश प्रसाद यादव निवासी किशदोद, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

08. वीरा सिंह पुत्र चन्दगीराम यादव विासी झुण्ड सराय पोरट पोतवी तहसील फारूखनगर जिला गुडगांव, (हरियाणा)
09. पवन कुमार खुबानी पुत्र कन्हैयालाल खुबानी जाति सिंधी निवासी ई–1, प्रताप नगर आमानीशाह दरगाह रोड़ शास्त्रीनगर जयपुर।
10. कालू पुत्र काना,
11. बाबू पुत्र काना, (फौत)
    - 11/1. श्रीमती कमली पत्नी स्व. बाबू,
    - 11/2. राकेश पुत्र स्व. श्री बाबू,
    - 11/3. जीतू पुत्र स्व. श्री बाबू जाति धानका निवासी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर व जिला जयपुर।
12. नेमीचन्द पुत्र काना, (फौत)
13. लाला पुत्र काना, (फौत)
    - 13/1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी स्व. श्री लाला,
    - 13/2. विनोद पुत्र स्व. श्री लाला, जाति धानका समस्त निवासी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
14. हनुमान पुत्र लादू, (फौत)
    - 14/1. श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी स्व. श्री हनुमान,
    - 14/2. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री हनुमान,
    - 14/3. कालूराम पुत्र स्व. श्री हनुमान,
    - 14/4. सुरेश पुत्र स्व. श्री हनुमान,
    - 14/5. नाथू पुत्र स्व. श्री हनुमान, निवासी जिन्द बाबा की ढाणी, ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर व जिला जयपुर।
15. तालुराम पुत्र बिरदा,
16. मोहरू पुत्र बिरदा, (फौत)
    - 16/1. लल्लूराम पुत्र स्व. श्री मोहरू,
    - 16/2. बबलू पुत्र स्व. श्री मोहरू, जाति धानका समस्त निवासी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
17. भगवान सहाय पुत्र बिरदा, (फौत)
    - 17/1. मोहन लाल पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय,
    - 17/2. देवीलाल पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय,
    - 17/3. मुकेश पुत्र स्व. श्री भगवान सहाय जाति धानका, समस्त निवासी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
18. रामनारायण पुत्र बिरदा, (फौत)
    - 18/1. गोपाल पुत्र स्व. श्री रामनारायण,
    - 18/2. श्यामलाल पुत्र स्व. श्री रामनारायण,
    - 18/3. मोटाराम पुत्र स्व. श्री रामनारायण,
    - 18/4. ठण्डीराम पुत्र स्व. श्री रामनारायण समस्त जाति धानका समस्त निवासी ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर जिला जयपुर। निवासी जिन्द बाबा की ढाणी, ग्राम बदरवास, तहसील जयपुर व जिला जयपुर।
19. रामू पुत्र रूघा,
    - 19/1. मदन पुत्र स्व. श्री रामू,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

19/2. गोपाल पुत्र स्व. श्री रामू, जाति बलाई समस्त निवासी वर्धमानगर सी, ग्राम बदरवास तहसील जयपुर जिला जयपुर।

20. ईश्वर पुत्र सुवालाल, जाति बलाई निवासी हीरापुरा अजमेर रोड, जयपुर।

21. लाला पुत्र नानगा, (फौत)

21/1. भँवरलाल पुत्र स्व. श्री लाला जाति यादव निवासी ग्राम हीरापुरा अजमेर रोड़ जयपुर।

22. मुन्ना पुत्र गोमा,

23. नानगराम पुत्र चिमाराम, (फौत)

23/1. किशनलाल,

23/2. गोपाल (फौत)

23/2/1. रमेश पुत्र स्व. श्री गोपाल,

23/2/2. प्रहलाद पुत्र स्व. श्रीगोपाल,

23/2/3. मदन पुत्र स्व. श्री गोपाल,

23/2/4. गजानन्द पुत्र स्व. श्री गोपाल

23/3. छोटूराम (फौत)

23/3/1. महेश पुत्र स्व. श्री छोटूराम,

23/3/2. सुरेश पुत्र स्व. श्री छोटूराम,

23/4. धन्नाराम (फौत)

23/4/1. श्रीमती नोरती देवी पत्नी स्व. श्री धन्नाराम, जाति यादव निवासीयान ग्राम बदरवास, तहसील व जिला जयपुर।

24. कालूराम पुत्र चिमाराम, (फौत)

24/1. लल्लूराम पुत्र श्री कालूराम,

24/2. रामनाथ पुत्र स्व. श्री कालूराम,

24/3. कैलाश पुत्र स्व. श्री कालूराम जाति यादव निवासीयान ग्राम बदरवास, तहसील व जिला जयपुर।

25. फतेह पुत्र गंगाराम (फौत)

25/1. सीताराम पुत्र स्व श्री फतेह जाति यादव निवासी रामदेव बाबा की ढाणी ग्राम बदरवास, तहसील वजिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–18 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90क के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर के समक्ष वाके ग्राम बदरवास तहसील जयपुर जिला यजपुर में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 107, 110, 111, 113 लगायत 117 कुल रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा बाबत प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी एवं काबिज काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भूमि का बंटवार नही हुआ है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रतिवादी संख्या 7 के साथ एक इकरारनामा करके बिना बंटवारे के आधी भूमि में से अपना आधा हिस्सा छोड दिया, उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण का जवाब एवं लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं प्रतिवादी संख्या 7 व अन्य प्रतिवादी द्वारा वाद में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उक्त वाद न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर एवं डिक्री इस कदर जारी कि कि ग्राम बदरवास में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 107, 110, 111, 113 लगायत 117 कुल किता 8 कुल रकबा 51 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार नियमानुसार किया जावे एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जावें कि राजस्व कानून के नियम 18 से 22 के प्रावधनों के अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवारा प्रस्तावित करते हुए हुये कुर्रेजात मय नक्शा विभाजन पेश किया जावें, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वो वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी नही करें निर्णय दिनांक 10.10.2002 को सुनाया गया, तत्पश्चात् उक्त भूमि बाबत एक अपील संख्या 208/2002 अजीम कुमार बनाम लल्लूराम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलार्थी वाद में पक्षकार नही होने से अपील मय ईजाजत प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के आधार पर अपील पेश की गई, उक्त अपील के पक्षकार को हितबद्ध पक्षकार नही होने से एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत समाहित नही होने से अपील अपीलार्थी दिनांक 29.10.2004 को खारिज फरमा दी गई, तत्पश्चात् उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर निगरानीकर्ता श्यामलाल काबरा ने एक निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश की जो निर्णय दिनांक 10.03.2014 के माध्यम से खारिज फरमा दी गयी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा विक्रय की भूमि बाबत संयुक्त गृह निमार्ण सहकारी समिति द्वारा डॉ. राजन्द्र प्रसाद नगर योजना विकसित की जिसके कारण उक्त भूमि का उपयोग कृषि से अकृषि अर्थात आवासीय प्रयोजनों में किये जाने से प्रश्नगत भूमि को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों का पर्यावसान किये जाने का अनुरोध किया जिसके क्रम में लोक सूचना प्रकाशन होने पर लाड़ा देवी पत्नी लल्लूराम ने उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 107, 110, 111, 113 लगायत 117 का किसी को बैचान नही करना एवं विभिन्न न्यायालयों के निर्णय का हवाला देते हुऐ आपत्ति दर्ज की तथा इस प्रकार समिति के अन्य सदस्यों द्वारा भी आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं उक्त समिति को अवैध लाभ पहूँचाने की गरज से मात्र खसरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 113 रकबा 28.10 बीघा को छोड़ते हुये शेष भूमि की खातेदारी का नामान्तरकरण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से दर्ज किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो किसी भी रूप में सही नही है तथा दौराने वाद की गई उक्त 90–क की कार्यवही अवैधानिक है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त भूमि बाबत विचारणीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 208/2002 एवं निगरानी संख्या टीए/12850/2004/जयपुर के समस्त तथ्यों की पूर्ण रूपेण जानकारी विचारणीय न्यायालय को होने के बावजूद एवं अपीलार्थी द्वारा 90–ए के समाचार पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करने के बावजूद भी उक्त अवैध अपीलाधीन आदेश पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की उक्त भूमि शामलाती एवं अविभाजित कृषि भूमि है जिस बाबत अपीलान्ट ने एक वाद विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रख है। उक्त भूमि को विक्रय किया जाना जो बमुकाबले अपीलान्ट क्लेअदम व बेअसर है, उक्त भूमि का भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के तहत फार्म हाउस योजना के लिये अनुज्ञा दिनांक 05.02.2016 को प्राप्त कर ली, जो कतई कानूनी नही है एवं अविधिक है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 कतई कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में अंकित खातेदारों के नाम से 90–ए के नोटिस जारी करके और समाचार पत्र से सूचना प्रकाशित करवाई गई थी और 7 दिवस में उक्त सूचना पर आपत्ति आमंत्रित की गई थी, उक्त आपत्ति पर लाड़ा देची पत्नी लल्लूराम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नही दिये जाने पर वे उक्त कार्यवाही विचाराधीन होने के सम्बन्ध में आश्वस्त रहे परन्तु दिनांक 06.08.2019 को कुछ अनजान लोगों द्वारा उक्त विवादित भूमि पर निमार्ण कार्य करने के उद्देश्य से आये और निमार्ण की बातें करने पर अपीलान्ट ने उक्त लोगो से कहा कि उक्त भूमि पर स्टे है आप निमार्ण कार्य नही कर सकते तब उक्त लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि का तो जयपुर विकास प्राधिकरण से भू रूपान्तरण हो चुका है जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 07.08.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिये आवेदन किया जिस पर अपीलान्ट को पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 26.08.219 को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही थी उक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी महज जानकारी का अभाव मात्र है तथा उक्त देरी को माफ किये जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, जोन–18 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जोन–18 के तहसीलदार द्वारा उक्त आराजीयात का कृषि कार्य से अकृषि कार्य में उपयोग–उपभोग होने सम्बन्ध रिपोर्ट प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात के खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी के खातेदार काश्तकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं दैनिक समाचार पत्र में लोक सूचना प्रकाशित करवाई जाकर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कई आपत्तियॉ प्राप्त हुई जिनमें से एक भी आपत्ति उक्त आराजी के उपयोग–उपभोग कृषि कार्य से अकृषि कार्य में नही होने बाबत नही रही है बल्कि ज्यादातर आपत्तियॉ प्लॉट होल्डर्स द्वारा की गई है जो केवल स्वामित्व सम्बन्धी आपत्तियॉ थी तथा अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा किसी भी पक्षकारान के स्वामित्व सम्बन्धी कोई निर्णय पारित नही किया गया बल्कि आराजी के कृषि भूमि से अकृषि उपयोग–उपभोग में आने के कारण खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से निरस्त फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के अधिवक्ता ने अपने अपील के तथ्यों को समर्थन करते हुए एवं अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि कार्य के उपयोग–उपभोग में आ रही है जिस भूमि पर पूर्व खातेदार लादूराम द्वारा सन् 1979 में इलाहाबाद बैंक से ऋण लेकर उक्त भूमि मोरगेज की गई थी जिसके पश्चात् खातेदार लादूराम की मृत्यु होने के बाद लादू की पत्नी बोदीदेवी द्वारा लल्लू के पक्ष में वसीयत की गई जिसके आधार पर लल्लूराम पुत्र लादूराम के हक में नामान्तरकण संख्या 153 विधि अनुसार खोला गया एवं नामान्तरकरण खुलने के पश्चात् लल्लूराम द्वारा उक्त भूमि को इलाहाबाद बैंक से सन् 2003 मे रहनमुक्त करवा लिया तथा लादूराम की पत्नी बोदी देवी व लल्लूराम द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने पर आमादा होने पर एक दावा विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम के समक्ष पेश किया जो पक्षकारान को सुनने के पश्चात् दिनांक 10.10.2002 को प्रारम्भिक डिक्री जारी किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 10.10.2002 तक वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि थी जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–18 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 को विधि विरूद्ध पारित किया गया है क्योंकि विधि का सिद्धान्त है कि धारा–90ए के सब सेक्शन 8 के तहत अपीलाधीन आदेश मात्र पूर्व प्रकरण जो दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के हो पर लागू होता है जबकि उक्त भूमि दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि का परिवर्तनशील नही किया गया था जो न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय से साबित है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की कृषि भूमि जिनका परिवर्तनशील कर लिया हो पर ही लागू होता इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 निरस्तनीय है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 7 का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर अधीनस्थी न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–18 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 भूमि खसरा नम्बर 107, 110, 111, 113 लगायत 117 तक निर्णय को अपास्त किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के अधिवक्ता ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–18 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 को भूमि खसरा नम्बर 107, 110, 111, 113 लगायत 117 तक निर्णय को अपास्त किये जाने के आदेश देने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–18 के तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी का कृषि कार्य से अकृषि कार्य में उपयोग–उपभोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारान को नोटिस जारी कर एवं लोक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई है जिस पर प्राप्त आपत्तियों में किसी भी आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी का अकृषि उपयोग होने के तथ्य को नकारा नही गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 के समय अकृषि उपयोग हो रहा था। ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त आराजी पर कृषि कार्य हो ही नही रहा है तो उक्त आराजी के खातेदारो के खातेदारी अधिकार समाप्त ही किये जाने थे। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 28.10

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बीघा की 90–ए की कार्यवाही नही की गई जिससे अपीलार्थी उक्त आराजी खसरा नम्बर 113 रकबा 28.10 बीघा को अपने उपयोग–उपभोग हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 के माध्यम से किसी भी पक्षकार के स्वामित्व सम्बन्ध अधिकारों का विनिश्चय नही किया गया है फिर भी यदि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 से किसी पक्षकार के हक, हकूक अधिकार प्रभावित होना प्रतीत होते है तो इसके लिये वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन–18 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2016 को यथावत रखा जाता है।

6/10/2021

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

6/10/2021

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।